



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. (0291) 2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/1111

दिनांक:- 18/3/2021

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2021 वीं बैठक दिनांक 10.03.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (10.03.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 01/2021 वीं बैठक दिनांक 21.01.2021 व 22.01.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 166/4 रकबा 04.05.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री चन्दराराम पुत्र श्री विरमाराम, श्री जेठाराम पुत्र श्री चन्दराराम, श्री निम्बाराम पुत्र श्री उम्मेदराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के समीप खसरा संख्या 166/5, 166/6, 166/2, 166/3 को भूमि का ले-आउट प्लान अनुमोदित है जिसकी सड़कों का मिलान प्रश्नगत योजना की सड़कों से किया जाना है तथा भूखण्ड संख्या 19 व 22 के मध्य दर्शित 40 फीट सड़क को आगे बढ़ाते हुए पार्क में संशोधन किया जाकर संशोधित मानचित्र लिया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र यदि 15 दिवस में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। अन्यथा प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा कंला के खसरा संख्या 305/3, 306, 306/1, 307/2, 307/3, 307/4, 307/5 रकबा 28.14.00 बीघा के कन्वेंशन सेन्टर, एकजीबीशन सेन्टर, कमर्शियल सेन्टर प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- जोधपुर फर्नीचर मार्ट प्रा.लि जरिये श्री डायरेक्टर श्री नमित लोढा पुत्र श्री गणपत लोढा एवं एन.एम. बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री नमित लोढा पुत्र श्री गणपत लोढा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग मौका एवम् राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 200 फीट है आवेदित भूमि डांगियावास बाईपास पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 200 फीट एवम् 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखा जाना है।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मिक्स लैंड यूज, आंशिक आवासीय, आंशिक वृक्षारोपण पट्टी है। भूमि का क्षेत्रफल 46457.96 वर्गमीटर है। जिसमें से 30255.15 वर्गमीटर क्षेत्रफल (लगभग 65 प्रतिशत) मिश्रित भू-उपयोग में एवम् 16202.76 वर्गमीटर (35 प्रतिशत) आवासीय भू-उपयोग में स्थित है।
3. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.2.8 के पैरा 5 के बिन्दु संख्या (i) के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर CONVENTION CENTRE, EXIBITION CENTRE, COMMERCIAL COMPLEX अनुज्ञेय किया जा सकेगा।
4. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के बिन्दु संख्या 21 के उपबिन्दु 6 (i) अनुसार सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा व्यवसायिक/अनुज्ञेय मिश्रित उपयोग हेतु नियमानुसार सम्पूर्ण भूखण्ड हेतु व्यवसायिक रूपान्तरण व अन्य शुल्क लेते हुए पट्टा विलेख जारी करने एवम् भवन निर्माण स्वीकृति करने की कार्यवाही की जावेगी।
5. प्रश्नगत भूमि का क्षेत्रफल 02 है। से अधिक है। अतः 5 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखते हुए ले-आउट प्लान में दर्शायी जाकर जोविप्रा के पक्ष में समर्पित करवायी जावे एवं आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि सुविधा क्षेत्र की भूमि हेतु निर्बाध पहुँच मार्ग क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण/लैंडस्केपिंग/वायर फेंसिंग नहीं करेगा। तदुपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 789/3 रकबा 03.15.00 बीघा के पेट्रोल पम्प (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री नरपत सिंह पुत्र श्री हरिसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 5 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 756/1 रकबा 10.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री मांगीलाल पुत्र श्री दगडाराम, श्री रामूराम पुत्र श्री दगडाराम, श्रीमती मेती पत्नी श्री गुलाबराम एवं श्री मनोज पुत्र श्री हिराराम

9

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में राजस्व रास्ते के खसरो का अंकन नहीं किया गया अतः राजस्व रास्ते के खसरो को दर्शाते हुए आवेदक की भूमि जो कि 100 फीट (मध्य से 50फीट) सड़क चौड़ाई से प्रभावित होती है, को निःशुल्क जोविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में भूखण्ड संख्या 12 व 19 के मध्य दर्शित 30 फीट सड़क को आगे बढ़ाते हुए भूखण्ड संख्या 62 व 63 के स्थान पर सड़क दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र आवेदक से लिया जाकर जारी किया जावे।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र यदि 15 दिवस में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। अन्यथा प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 16/5, 16/6 रकबा 05.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री मेघाराम पुत्र श्री जोगाराम, श्री मालाराम पुत्र श्री मसराराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. सेक्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान का नियमानुसार विहित प्रक्रिया अनुसार प्रकाशन उपरान्त उस तारीख से जोनल डवलपमेंट प्लान प्रभावी होगा।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 31 व 32 के मध्य दर्शित 30 फीट सड़क को शिफ्ट करते हुए भूखण्ड संख्या 37 व 38 के स्थान पर सड़क दर्शाते हुए सड़क का मिलान पूर्व में अनुमोदित योजना की सड़क से करते हुए संशोधित मानचित्र आवेदक से प्राप्त कर जारी किया जावे।
3. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

8

7. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र यदि 15 दिवस में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। अन्यथा प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 262/5 रकबा 02.10.00 बीघा में से 00.10.07.5 बीघा के पेट्रोल पम्प (एकल भूखण्ड) प्रयोजनाथ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री बीरबल पुत्र श्री भंवरलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि गत बैठक में लिए गए निर्णय को स्थगित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के कम राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तथा प्रश्नगत प्रकरण में पी.डब्ल्यू.डी/एन.एच.ए.आई द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार पुनर्परिक्षण किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 8 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 695/3 रकबा 06.03.10 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनाथ बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती जोगलीदेवी पत्नी श्री जावताराम विश्नोई, श्री धापुदेवी पत्नी श्री अर्जुनराम, श्री प्रदीपसिंह पुत्र श्री करनीदान चारण

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में इस रास्ते को 60 फीट करते हुए खसरा संख्या 701/1 व 849/1 के मानचित्र अनुमोदित किया गया है। अतः आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में रास्ते का मार्गधिकार 60 फीट (मध्य से 30 फीट) रखा जावे।
2. राजस्व रास्ते का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र में करवाया जावे। राजस्व रास्ते के केन्द्र से 30 फीट-30 फीट दोनों ओर सड़क मार्गाधिकार रखा जावे।
3. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में एक एच.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता 132 के.वी दर्शायी गयी है एवम् 13.8 मीटर (45 फीट) का सेफ्टीकोरीडोर दर्शाया गया है तथा सेफ्टीकोरीडोर के उपरान्त दोनों तरफ 40 फीट सड़क प्रस्तावित की गयी है। एच.टी. लाईन की क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे एवं भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक से तदनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जाकर जारी किया जावे।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 9 :- (10.03.2021) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 273/03, 274, 274/1/1, 274/1/2, 274/3, 274/1/4 रकबा 22.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनाथ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री दिनेश बूब पुत्र श्री रामजीवन बूब एवम् श्री रमेश रामनानी पुत्र श्री नेनमल

6

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बैठक के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा आवेदक को बुलवाया गया। प्रार्थी श्री दिनेश बूब उपस्थित हुए। समिति द्वारा एजेण्डा नोट में अंकित कमियों को दूरस्त कर दिनांक 12.3.2021 तक संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने बाबत आवेदक को निर्देशित किया गया। अतः बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान आगामी बैठक किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि की 90/क की कार्यवाही दिनांक 09.03.2016 को रिसॉर्ट प्रयोजनार्थ की गयी है। अतः जोन उपायुक्त द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ 90/क की जावे तत्पश्चात् ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल को बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. समिति द्वारा लिए गए निर्णय बाबत राज्य सरकार को सूचित किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 192 रकबा 03.13.00 बीघा के औद्योगिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- BMC ART AND CRAFT जरिये भागीदार श्री भरत चेखलिया पुत्र श्री हिरालाल चेखलिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि जोधपुर-बाडमैर सडक पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 200 फीट रखते हुए सडक मार्गाधिकार से प्रभावित भूमि जो.वि.प्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर./प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन करने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी व डोली के खसरा संख्या 103/2, 103/3 व 676/1, 676/2 रकबा 11.00.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

(8)

आवेदक :- श्री दुंगरचन्द छाजेड पुत्र श्री हस्तीमल छाजेड

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि झांवर रोड पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 100 फीट रखते हुए सड़क मार्गाधिकार से प्रभावित भूमि जो.वि.प्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान अनुसार भूमि आवासीय भू-उपयोग में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2020 के अनुसार मास्टर प्लान में प्लानटेशन बैल्ट, ईकोलोजिकल जोन व रिकिएशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) को छोड़कर अन्य सभी भू-उपयोग में कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु स्थापित होने वाले उद्योग अनुज्ञेय है।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन बाबत सम्बन्धित विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवम् डी.पी.आर./प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
4. पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे में 'कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ' का अंकन करने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि फैंक्टी निर्मित है। अतः मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंग की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 652/20 रकबा 01.10.00 बीघा के लघु उद्योग (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री भलाराम पुत्र श्री झुमरराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मौका स्थिति अनुसार पहुच मार्ग कि चौड़ाई 150 फीट है एवम् राजस्व रिकार्ड अनुसार चौड़ाई 100 फीट है। उक्त सड़क कि चौड़ाई 160 फीट रखते हुए एवम् सड़क मार्गाधिकार से प्रभावित भूमि को दर्शाते हुए आवेदक से संशोधित ले-आउट प्लान प्राप्त किया जावे।

एजेण्डा संख्या 13 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 272/3 रकबा 02.06.10 बीघा के फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देदाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित बिन्दुओं कि पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया:-

82

1. प्रश्नगत भूमि के पहुच मार्ग वाली सडक किन दो गावों को जोडती है के संबध में एवम् उक्त सडक पर पूर्व में किये गये कमिटमेंट्स के संबध में जोन से रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
2. कमिटमेंट्स नही होने कि स्थिति में प्रश्नगत भूमि के पहुच मार्ग कि चौडाई भविष्य के विकास के दृष्टिगत 160 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा संख्या 14 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 752 रकबा 04.09.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) के ले-आउट प्लान के संबध में।

आवेदक :- श्री मोहम्मद यूनुस पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ व अन्य

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान की 100 फीट चौडी सडक से प्रभावित है अतः पूर्व में जेडएलसी की बैठक दिनांक 12.08.2013 द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान को निरस्त किया जाता है।
2. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100 फीट सडक छोड़ते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो तदानुसार परिक्षण किया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

एजेण्डा संख्या 15 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बांगा के खसरा संख्या 824/1, 827/3, 824, 827 रकबा 09.04.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह, श्री अरुण पुत्र श्री सत्यनारायण हर्ष

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी.टी. सर्वे एवं गुगल मैप अनुसार आवेदित भूमि पर निर्माण होना दर्शित है अतः मौके पर निर्माण के संबध में कनिष्ठ अभियन्ता से विस्तृत मौका रिपोर्ट करवायी जाकर राज्य सरकार के आदेश कमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें।
2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 16 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 279/1, 279/2, 280, 281 रकबा 57.09.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री कुशलराम, श्रीमती शान्ति पत्नी श्री ढगलाराम श्री ढलाराम पुत्र श्री नैनाराम



निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी ले-आउट प्लान निरस्त किया जाता है एवं भविष्य में संशोधित ले-आउट प्लान अनुसार ही लीज-डीड/आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।
2. उपायुक्त जोन को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना का संशोधित ले-आउट प्लान जारी होने तक उक्त योजना में लीज डीड/आवंटन जारी नहीं किया जावे एवं रिप्लानिंग से प्रभावित भूखण्डों में से जिन भूखण्डों की लीजडीड जारी हो चुकी है उनको प्राधिकरण में समर्पित करवायी जाने की सुनिश्चितता की जावे।
3. टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार 2 है. से अधिक व 10 है. क्षेत्रफल की योजनाओं में सुविधा क्षेत्र न्यूनतम 10 प्रतिशत अपेक्षित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में सुविधा क्षेत्र 10 प्रतिशत से कम प्रस्तावित किया गया है। अतः न्यूनतम 10 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र दर्शाते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र लिया जाकर जारी किया जावे।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिप्लानिंग मानचित्र में 11 के.वी. की लाईन नहीं दर्शायी गई है अतः उक्त संबंध में मौका रिपोर्ट करवायी जाकर तदनुसार ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
5. रिप्लानिंग मानचित्र अनुसार भूखण्डधारियों को मौके पर कब्जा दिये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी एवम् किसी भी प्रकार के वाद विवाद के संबंध में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ताओं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे।

एजेण्डा संख्या 17 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 14/10, 14/6 रकबा 01.16.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री डूगरराम श्री किशन पुत्रान् श्री गोविन्द जी व श्री रामदयाल पुत्र श्री मंगलाराम जी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

नगरीय विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार 02 है. तक की योजनाओं हेतु 40 फीट पहुँच मार्ग होना अपेक्षित है। प्रश्नगत प्रकरण में पहुँच मार्ग 40 फीट से कम है अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

एजेण्डा संख्या 18 :- (10.03.2021) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम डोलानाडा के खसरा संख्या 69/14, 69/15 रकबा 16.05.00 बीघा के फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्रीमती नेनी देवी पत्नी श्री श्यामलाल जी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित बिन्दुओं कि पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार दक्षिण दिशा में Existing road दर्शायी गई है। उक्त सड़क राजस्व रास्ता है अथवा नहीं बाबत जोन से रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
2. आवेदित भूमि के उत्तरी दिशा में स्थित राजस्व रास्ता पर पूर्व में किये गये कमिटमेंट्स के संबंध में जोन से रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
3. इस रास्ते पर पूर्व में कमिटमेंट्स नहीं होने कि स्थिति में प्रश्नगत भूमि के पहुँच मार्ग कि चौड़ाई भविष्य के विकास के दृष्टिगत 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
4. आवेदक द्वारा पहुँच मार्ग 100 फीट प्रस्तावित की गई है। उक्त सड़क मास्टर प्लान की सड़क नहीं है। भविष्य के विकास के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित पहुँच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट प्रस्तावित की जाती है।

6

5. प्रश्नगत सडक किन दो गावों को जोड़ती है के संबंध में एवम् उक्त सडक पर पूर्व में किये गये कमिटमेंट्स के संबंध में जोन से रिपोर्ट प्राप्त की जावें। कमिटमेंट्स नहीं होने कि स्थिति में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा संख्या 19 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम रामपुरा भाटीयान् के खसरा संख्या 236/11 रकबा 01.00.00 बीघा के लघु उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री पप्पाराम पुत्र श्री गिरधारीराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-मथानिया राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गधिकार 200 फीट रखा जावें। सडक मार्गधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेपटी कोरिडोर छोड़ा जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर./प्रस्ताव प्राप्त किये जावें एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 20 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम रामपुरा भाटीयान् के खसरा संख्या 236/12 रकबा 01.00.00 बीघा के लघु उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।

आवेदक :- श्री रामनिवास पुत्र श्री नाथाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-मथानिया राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गधिकार 200 फीट रखा जावें। सडक मार्गधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेपटी कोरिडोर छोड़ा जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर./प्रस्ताव प्राप्त किये जावें एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।



4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 75 रकबा 78.04.00 बीघा में से 03.08.13 के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।

आवेदक :- श्री अश्विनी परिहार पुत्र श्री उगमसिंह परिहार, श्री गौरव परिहार पुत्र श्री उगमसिंह, श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री प्रभु, श्री सम्पतसिंह पुत्र श्री प्रभु, श्री शैतानसिंह पुत्र श्री प्रभु, श्री श्यामसिंह पुत्र श्री प्रभु, श्री जयसिंह परिहार पुत्र श्री हेमसिंह परिहार, श्री सीताराम पुत्र श्री हेमाराम, श्री उगमसिंह पुत्र श्री सावलाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 22 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम गुजरावास खुर्द के खसरा संख्या 66/2 रकबा 06.00.00 बीघा भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले-आउट प्लान में इन्फॉर्मल शॉप्स हेतु आरक्षित भूमि के ले-आउट प्लान बाबत।

आवेदक :- श्री दिनेश कुमार श्री पुखराज व अन्य

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। इन्फॉर्मल शॉप्स का निष्पादन तत्कालीन टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार ही किया जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत



भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 23 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 117/7 रकबा 15.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री मोडाराम पुत्र श्री लिखमाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गधिकार 80 फीट रखा जावे। सड़क मार्गधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेपटी कोरिडोर छोड़ा जावे।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 24 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम निम्बारिया (मूल लवेरा खुर्द) के खसरा संख्या 487/230 रकबा 1.2863 है0 में से 01.19.14 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री पाबुराम पुत्र श्री मेवाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 25 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा संख्या 377, 377/2, 377/4 रकबा 03.10.10 बीघा के एग्री इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री दाउलाल डागा पुत्र श्री रामकिशन, श्री अभिनव डागा पुत्र श्री दाउलाल डागा, श्रीमती निर्मला डागा पत्नी श्री दाउलाल डागा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग विशेष क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण मास्टर प्लान पुस्तिका के बिन्दु संख्या 5.1.6 अनुसार प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

(8)

एजेण्डा संख्या 26 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मथानिया द्वितीय के खसरा संख्या 874/1, 874/2 रकबा 04.15.14 बीघा के लघु उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्रीमती कस्तूरी डागा पत्नी श्री रमन डागा, श्री लखन डागा पुत्र श्री रमन डागा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गधिकार रेलवे सीमा के साथ-साथ 100 फीट रखी जावे। सड़क मार्गधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. रेलवे सीमा का अंकन व सुपरइम्पोजिशन जोन से करवाया जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर./प्रस्ताव प्राप्त किये जाने एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
4. सड़क मार्गधिकार में किए गए निर्माण को हटाये जाने के उपरांत पट्टा विलेख जारी किए जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 27 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 579 रकबा 04.08.00 बीघा के होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री डूंगरराम पुत्र श्री सगराराम प्रजापत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.12.2020 अनुसार 900 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। इस 900 मीटर की सीमा का अंकन मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की प्रति पर किया जाकर ड्राईंग शाखा रिकॉर्ड में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 28 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 72/9 रकबा 05.19.00 बीघा में से 03.09.17 बीघा के शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री संजय पुत्र श्री शिव चारण

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श पूर्व में प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस हेतु आवेदन के संबंध में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) द्वारा दिनांक 02.12.2020 को लिए गए निर्णय को प्रार्थी द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किया गया। साथ ही आवेदक द्वारा पूर्व में आवेदन किए गए क्षेत्रफल (05.19.00 बीघा) में से कुछ भाग (03.09.17 बीघा) के आवेदन को अस्वीकार करते हुए जोन स्तर पर

7

संशोधित 90/क का आदेश जारी कर एवम् एकजाई योजना मानचित्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही प्रकरण पर विचार किया जावे।

एजेण्डा संख्या 28 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 126/7/2 रकबा 01.00.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री बाबुलाल टाक पुत्र श्री चुन्नीलाल टाक, श्री जेठाराम पुत्र श्री रामचन्द्र गहलोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 29 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 124/2, 124/4 रकबा 27.12.00 बीघा के एग्रीवेस इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्रीमती कालकी उर्फ कालीदेवी पत्नी स्व. श्री कालूराम, श्री दीपाराम पुत्र स्व. श्री कालूराम, श्री सेठाराम पुत्र श्री पोकरराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत योजना में नियमानुसार पार्क एवं खुला क्षेत्र, सुविधा क्षेत्र, ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई. जी.एच. हेतु क्षेत्र आदि का प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावे। साथ ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल है, के संबंध में आवेदक से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
2. आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन से रिपोर्ट ली जावे एवं तदनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जावे।
3. कृषि आधारित उद्योग हेतु जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज तथा प्रार्थी से प्रोजेक्ट की डी.पी.आर./प्रस्ताव प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
4. आवेदित भूमि के दक्षिण में कटाण रास्ता गुजर रहा है, जिस पर पूर्व में यदि कोई कमिटमेंट हो तो, उक्त के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 30 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम बीजवाडिया के खसरा संख्या 174/8 रकबा 02.00.00 बीघा में से 00.16.13.3 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्रीमती प्रियंका पुत्र श्री जयसिंह पत्नी श्री टिकमचन्द

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के क्रम में उक्त नियम किस प्रकार लागू किया जावे, हेतु राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 31 :- (10.03.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 313 रकबा 09.18.00 में से 07.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।

आवेदक :- श्रीमती पेंफी पत्नी श्री लालाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गधिकार 80 फीट रखा जावें। सड़क मार्गधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :- (10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/10 रकबा 04.11.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तमदास पुंगलिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गधिकार 80 फीट रखा जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित खसरा संख्या 236 में लगने वाले रास्ते को निरंतर करने हेतु आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में आवेदक की भूमि में से 30 फीट रास्ता छोड़ते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावें। सड़क मार्गधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय हैं। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के कम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकड़ें कर पृथक-पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए हैं। अतः तदनुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
5. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें।

6

6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 33 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/43 रकबा 00.16.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्रीमती संगीता सुथार पत्नी श्री राजेन्द्र सुथार

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने दक्षिण दिशा में एवम पूर्व दिशा में सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट-60 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नविधि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 34 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/17 रकबा 00.18.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नी श्री कैलाशचन्द्र

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

(8)

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्गाधिकार को भविष्य में होने वाले औद्योगिक विकास के दृष्टिगत 80 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/18 रकबा 00.18.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्री हनुमानराम पुत्र श्री राजाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्गाधिकार को भविष्य में होने वाले औद्योगिक विकास के दृष्टिगत 80 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/38 रकबा 01.10.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्री महेन्द्र बोहरा एच.यू.एफ कर्ता महेन्द्र बोहरा



निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार दक्षिण व पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार को क्रमशः 80 व 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
4. आवेदक द्वारा जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की जांच जोन स्तर पर सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु नियमानुसार प्रार्थी से राशि वसूल की जावे।
5. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 37 :- (10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 49/25, 49/26 रकबा 05.19.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :- श्री सुनील हैण्डीकापटस एक्सपोर्ट्स जरिये प्रो. श्री अनिल लोहिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित बोरानाडा-सालावास सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान, 2031 में दर्शाये अनुसार 48 मीटर रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। साथ ही सड़क मार्गाधिकार में आवेदक द्वारा निर्मित अनाधिकृत बाउण्ड्री वॉल को हटाये जाने की कार्यवाही उपरांत पट्टा विलेख जारी किए जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।

3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 38 :—(10.03.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 474/75 रकबा 00.09.15 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :—श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री कालूराम

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार—विमर्श आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में किये गये कमिटेन्ट्स के अनुसार 100 फीट दर्शाते हुए संशोधित ले—आउट प्लान प्राप्त किया जावे। साथ ही कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क मार्गाधिकार में हुए अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में आवश्यक शपथ—पत्र जोन स्तर पर प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उपरोक्त की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 39 :—(10.03.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम लूणी के खसरा संख्या 852/2 रकबा 10.00.00 बीघा में से 01.03.01 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :—श्रीमती भीखीदेवी पत्नी श्री खेताराम मेघवाल

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 40 :—(10.03.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम श्री जम्भेश्वर नगर के खसरा संख्या 434/3 रकबा 02.01.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :—श्री श्रवणराम बुडिया पुत्र श्री हनुमानराम बुडिया

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 41 :—(10.03.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/6 रकबा 01.15.14 बीघा में से 00.17.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :—श्री प्रियंक भण्डारी पुत्र श्री सुपारस भण्डारी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 42 :- (10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/6 रकबा 01.15.14 बीघा में से 00.18.05 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री रीमा भण्डारी पत्नी श्री प्रियंक भण्डारी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क को 60 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 43 :- (10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 39/22 रकबा 04-16-9.5 बीघा के व्यवसायिक व आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री मोईनुद्दीन खान नसरानी पुत्र श्री भूरेखां

(6)

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए अनुमोदन अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 मीटर अर्थात् 200 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की पुस्तिका के बिन्दु संख्या 5.2.8 में किये गये प्रावधानों के अनुसार आवेदित भूमि का लगभग 75 प्रतिशत भाग मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत आने के कारण सम्पूर्ण भूमि का मिश्रित भू-उपयोग हेतु ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 44 :- (10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 100/4, 101/1 रकबा 21.00.00 बीघा में से 01.16.13 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :- श्री लालाराम पुत्र श्री पुरखाराम पटेल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निर्णय लिया गया कि पेट्रोल पम्प की स्थापना के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.01.2021 के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 45 :- (10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/81 रकबा 00.18.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :- श्री पीयूष मोहनोत पुत्र श्री रिखबराज मोहनोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैध निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।

(8)

3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जाए।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाए अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाए।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाए कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाए।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 46 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 57/17 रकबा 00.13.05 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्रीमती प्रेमीदेवी पत्नी श्री बुधाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 40 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जाए। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाए एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जाए।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाए अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाए।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाए कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाए।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 47 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 57/18 रकबा 03.05.00 बीघा में से 00.12.17 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्री बुधाराम मेघवाल पुत्र श्री लादूराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 40 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जाए। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाए एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जाए।



2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 48 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 350/4, 350/3 रकबा 05.10.17 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।

आवेदक :-श्रीमती माडुदेवी पत्नी श्री खेमराम, श्री जगदीश पुत्र श्री किशनाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 40 फीट सड़क मार्गाधिकार रखते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा के बाहरी सीमा से एच.टी.लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति बाबत जोन से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए तदनुसार नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 49 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणावास कला के खसरा संख्या 12/4 रकबा 10.00.00 बीघा में से 05.00.00 के नॉन पाल्यूटेड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्री गंगाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि में भूमिगत पेयजल लाईन गुजर रही है, उक्त पेयजल लाईन दर्शाकर लाईन



से निर्धारित सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए नवीन संशोधन मानचित्र प्राप्त किया जावे तथा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से आवेदित भूमि में से गुजर रही उक्त भूमिगत पेयजल लाईन का Alignment/संरेखण दर्शाते हुए मानचित्र प्राप्त किया जावे। साथ ही पीछे की ओर विचाराधीन अन्य पत्रावली हेतु 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। उपरोक्त की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 50 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणावास कलां के खसरा संख्या 12/4 रकबा 10.00.00 बीघा में से 05.00.00 के नॉन पाल्यूटेड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत
आवेदक :-श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री बाबूलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि में भूमिगत पेयजल लाईन गुजर रही है, उक्त पेयजल लाईन दर्शाकर लाईन से निर्धारित सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए नवीन संशोधन मानचित्र प्राप्त किया जावे तथा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से आवेदित भूमि में से गुजर रही उक्त भूमिगत पेयजल लाईन का Alignment/संरेखण दर्शाते हुए मानचित्र प्राप्त किया जावे। साथ ही पीछे की ओर विचाराधीन अन्य पत्रावली हेतु 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। उपरोक्त की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 51 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 8/1, 8/3 रकबा 02.04.00 बीघा के थोक व्यापार एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :-श्री शाहबाज बेलिम पुत्र श्री लियाकत बेलिम, श्रीमती जेबा बेलिम पुत्री श्री अदील मजीद

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श कर प्रकरण में उक्त सड़क पर पूर्व में हुए कमिटमेंट की रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जावे। साथ ही मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 व जोनल डवलपमेंट प्लान के सर्वे मानचित्र अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित सर्कल की पुनः जांच की जावे।

एजेण्डा संख्या 52 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 253/4, 253/5 रकबा 05.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।
आवेदक :-मैसर्स रामदेव इन्फ्रा एण्ड लैण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री हेमन्त रोचवानी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट व नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.11.2016 अनुसार 30 फीट सड़क मार्गाधिकार रखते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से एल.टी.लाईन को हटाये जाने के उपरान्त पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही करने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 53 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77 / 24, 77 / 30 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्री कल्याणसिंह पुत्र श्री रघुनाथसिंह व श्री अभिमन्युसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटेमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
3. प्रश्नगत आवेदन में मौके पर स्वामित्व दस्तावेज से 32.44 वर्गगज क्षेत्रफल भूमि अधिक प्राप्त होती है। अतः जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की जांच जोन स्तर पर सुनिश्चित करते हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु नियमानुसार प्रार्थी से राशि वसूल की जावे।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 54 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035 / 740 / 12 रकबा 00.13.07 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :-श्री जयेश कुमार खत्री पुत्र श्री नानकराम

(6)

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 55 :- (10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/47 रकबा 01.12.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।

आवेदक :- श्री गोपीकिशन राठी पुत्र श्री देवकिशन राठी, श्रीमती उषा पत्नी श्री अरविंद मंत्री

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 60 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित राजस्व रास्ते की चौड़ाई 60 फीट रखी जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 56 :—(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 61, 62, 62/1, 63 रकबा 18.12.00 बीघा में से 11.11.10 बीघा के हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :—श्रीमती शैफाली जौहरी पत्नी श्री सुबोध, श्री ललित जौहरी पुत्र श्री विनोद कुमार, श्रीमती सुलोचना देवी पत्नी श्री विनोद कुमार

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को कटाणी मार्ग से पहुंच प्राप्त होता है जिसका सड़क मार्गाधिकार 80 फीट (मध्य से 40-40 फीट दोनों ओर) रखा जावे। इस बाबत राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावे। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे अन्यथा उक्त सड़क को 80 फीट रखा जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।
2. आवेदक द्वारा हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः संबंधित विभाग / एजेन्सी से हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज बाबत रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। साथ ही आवेदक से हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हेतु डी.पी.आर प्राप्त की जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 57 :—(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 291/7 रकबा 10.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत।
आवेदक :—श्री लक्ष्मीनारायण देवडा पुत्र श्री कँवरलाल

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट सुनिश्चित करने हेतु आवेदित भूमि में से 20 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु समर्पित करवा कर तथा उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में जांच कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

6

2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 58 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 59/2 रकबा 02.12.00 बीघा के व्यवसायिक सह औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :-श्री ईसराराम मेघवाल पुत्र श्री चतराराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 18.12.2018 में लिये गये निर्णय की पालना सुनिश्चितता की जावें।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी.टी. सर्वे एवं गुगल मैप अनुसार आवेदित भूमि पर निर्माण होना दर्शित है अतः मौके पर निर्माण के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता से विस्तृत मौका रिपोर्ट करवायी जाकर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें।
3. आवेदित भूमि के आस-पास वाणिज्यिक गतिविधियों तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में आवेदित भूमि का मिश्रित भू-उपयोग होने के परिपेक्ष्य में एवम् आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में समिति द्वारा सम्पूर्ण भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 59 :-(10.03.2021) जोन-दक्षिण

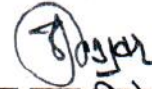
विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322, 322/1 रकबा 04.00.00 बीघा के गोदाम एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :-श्रीमती हमदादेवी पत्नी श्री रामलाल, श्रीमती भोलीदेवी पत्नी श्री जबराराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्न निर्णय लिया गया :-

(8)

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क का डिमार्केशन करवाकर तथा संपूर्ण खसरा भूमि का सुपरइम्पोजिशन करवाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
2. आवेदित भूमि की 90/बी किस प्रयोजनार्थ हेतु की गयी है, के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
3. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी.लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में जोन उपायुक्त से टिप्पणी ली जावे।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हुए आयोजना शाखा द्वारा क्षेत्रफल विश्लेषण किया जावे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

 18/3/21

उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

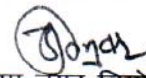
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/1412-1416

दिनांक:- 18/3/2021

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

 18/3/21

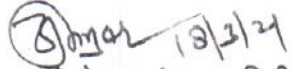
उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2021 वी बैठक दिनांक 10.03.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्रीमती कंचन राठौड, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 8. श्री राजेन्द्र चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 9. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 10. श्री लोकेन्द्र शिव मीणा, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

